

दिल्ली विकास प्राधिकरण

[वित्त तथा व्यय]


सं. एफई.8(02)2008/ एफटीए/ एफसीए/ एमसीए/ भाग/ 389

दिनांक: 7/6/2013

एफ एवं ई परिपत्र संख्या 12/2013

एफटीए/ एफसीए/ एमसीए समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली प्रोटोकॉल सहायक, उपाध्यक्ष का कार्यालय, डीडीए की यात्रा संबंधी श्रेणी को प्रायः यात्रा श्रेणी से जे.ई. (फील्ड) के समकक्ष गहन यात्रा श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए एफटीए के अनुमोदन अनुमति प्रदान करते हैं।

ये आदेश अनुमोदन की तारीख अर्थात् 30.05.2013 से प्रभावी होंगे।



[मनीष कुमार]

मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफई.8(02)2008/एफटीए/एफसीए/एमसीए/भाग/ 389

दिनांक: 7/6/2013

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, डीडीए के ओएसडी सूचनार्थ;
2. एफएम, डीडीए के निजी सचिव;
3. आयुक्त (पी)/ आयुक्त-सह-सचिव, डीडीए
4. निदेशक (वित्त)/ निदेशक (नजारत);
5. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-III
6. लेखा अधिकारी (प्रति.)-एनजी;
7. गार्ड फाइल/ ई.ओ. पुस्तक।
8. केवल हिंदी अनुवाद हेतु हिंदी अधिकारी।



लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]

दिल्ली विकास प्राधिकरण